चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-5" के तहत जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-5" के तहत आज दिनांक 28.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामों में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के अलावा जागरुकता हेतु चलाए जा रहे अभियानों के बारे में सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 28.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी,क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह के पर्यवेक्षण में थाना मऊ पुलिस टीम ने अपने पुत्र की कुल्हाड़ी से गला काट कर हत्या करने वाले आरोपी पिता को गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि आज दिनाँक 28.10.2024 को वादी नत्थू पुत्र मेहदू ग्राम दुवारी थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मऊ पर सूचना दी कि उनका पुत्र राजकुमार अपने बच्चों के साथ कमरे में सो रहा था और वह अपनी माँ मैकी और अपनी पत्नी शिवकुमारी के साथ आँगन में सो रहा था । सुबह करीब समय 03.00 बजे कमरे से बच्चे के चिल्लाने

की आवाज आयी तो मैं दौड़कर गया तो देखा कि मेरे पुत्र राजकुमार ने अपने पुत्र सत्यम की कुल्हाड़ी से गला काट कर हत्या कर दी है और कमरें में आग लगा लिया है। मेरे चीखने चिल्लाने पर गाँव के व्यक्तियों द्वारा आग बुझायी गयी। इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 304/2024 धारा 103(1),326(जी) बीएनएस बनाम राजकुमार उपरोक्त पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक मऊ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

प्रभारी निरीक्षक मऊ व उनकी टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर आरोपी अभियुक्त राजकुमार उपरोक्त को खून के छीटे लगे कपड़े पहने व आलाकत्ल कुल्हाड़ी के साथ मवईकला रोड़ से गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी-

1. घटना के समय खून के छीटे लगे पहने कपड़े
2. घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल कुल्हाडी

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय

2.अपराध निरीक्षक श्री अभय सिंह

3.आरक्षी विनोद

4.आरक्षी पुष्पेन्द्र यादव

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष बरगढ़ श्री पंकज तिवारी के मार्गदर्शन एवं पैरोकार आरक्षी प्रदीप कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना बरगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 75/2019 धारा 498ए, भादवि0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोपी अभियुक्त 1. बेलाकली पत्नी गुलजार प्रसाद रैदास 2. सूरज 3. गुड्डू उर्फ शिवनाथ वर्मा 4. रमाशंकर पुत्रगण गुलज़ार प्रसाद रैदास 5. गुलजार प्रसाद रैदास पुत्र मौकू रैदास निवासी ग्राम रैपुरा थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 03-03 वर्ष का कारावास व 08-08 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है दिनांक 06.08.2019 वादी श्री महेश कुमार गौतम पुत्र श्री शम्भूनाथ गौतम ने थाना बरगढ़ में सूचना दी थी कि अभियुक्तगण द्वारा वादी की बहन शशी को दहेज के लिए प्रताड़ित करना मांग पूरी न करने पर जान से मार डालना। सूचना पर थाना बरगढ़ में मु0अ0सं0 75/2019 धारा 498ए,304(B) भादवि0 व ¾ द0प्र0 अधिनियम बनाम 1. मृतका का पति रमाशंकर पुत्र गुलजार प्रसाद, 2. ससुर गुलजार प्रसाद मौकू, 3. सास बेलाकली पत्नी गुलजार प्रसाद, 4. देवर गुड्डू 5. देवर सूरज पुत्रगण गुलजार प्रसाद निवासीगण ग्राम रैपुरा थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी मऊ श्री इश्तियाक अहमद द्वारा संपादित की गयी। अभियुक्त रमाशंकर व अभियुक्त गुलजार प्रसाद उपरोक्त को दिनाँक 10.08.2019 को तथा अभियुक्ता बेलाकली, अभियुक्त गुड्डू

व सूरज उपरोक्त दिनाँक 16.10.2024 को गिरफ्तार किया गया तथा दिनाँक 25.10.2019 को पाँचो अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी वेदान्त पाण्डेय द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं शासकीय अधिवक्ता श्रीमती संगीता द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश/एफटूसी न्यू श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 620/2014 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी अभियुक्त 1.सन्तशरण यादव उर्फ लल्लू पुत्र भोला यादव निवासी राघव का पुरवा सिजवार थाना नयागाँव जनपद सतना म0प्र0 2. शिवस्वरूप मिश्र उर्फ बड़े भइया पुत्र राजा भइया निवासी दुगवां थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 3. राजू यादव पुत्र मौजीलाल निवासी नगनेधी थाना अतर्रा जनपद बांदा को 03-03 वर्ष का कारावास व 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>घटना का विवरणः-</u>

दिनाँक 31.08.2014 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री राकेश मिश्रा द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में 1.सन्तशरण यादव उर्फ लल्लू पुत्र भोला यादव 2. शिवस्वरूप मिश्र उर्फ बड़े भइया पुत्र राजा भइया 3. राजू यादव पुत्र मौजीलाल उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 620/2014 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत कराया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री अशोक कुमार मिश्रा द्वारा की गयी, विवेचक द्वारा दिनाँक 14.08.2015 को आरोपियों के विरुद्ध आरोप-पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(6). आज दिनाँक-28.10.2024 को राघव प्रेक्षागार पुलिस कार्यालय सोनेपुर में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी कार्यालय/लाइन्स श्री यामीन अहमद की अध्यक्षता में SJPU (विशेष किशोर पुलिस इकाई)/ CWC (बाल कल्याण समिति)/AHTU (एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट) की मासिक गोष्ठी आयोजित की गयी। इस गोष्ठी समस्त थानों के पुलिस बाल कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि विधि का उल्लंघन्न करने वाले बालक तथा पीड़ित की जन्मतिथि का सत्यापन आधार कार्ड से न करके विद्यालय के अंक-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र, नगर निकाय, नगर पालिका या मेडिकल परीक्षण कराकर किया जाए। बाल कल्याण इकाई को बताया गया कि यदि कोई नाबालिक पीड़ित/पीड़िता है और उसके साथ कोई वयस्क व्यक्ति नहीं है तो ऐसी स्थिति में बाल कल्याण इकाई के सदस्य द्वारा स्वयं वादी बनकर अभियोग पंजीकृत कराया जाए। पीड़िता का तत्काल समय सीमा के अन्दर विधिक के अनुरुप मेडिकल परीक्षण कराया जाये तथा आर्थित रुप से कमजोर पीड़िताओं को शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ दिलायें। SJPU(विशेष किशोर पुलिस इकाई), CWC (बाल कल्याण इकाई) के कार्यों एवं एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग(AHTU) के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी। बाल विवाह पर रोक लगाया जाये तथा जनपदीय गठित टीम द्वारा भ्रमण कर बालकों/बालिकाओं से कराये जा रहे श्रम को प्रतिबंधित कराया जाये और जिनके द्वारा श्रम कराया जा रहा है उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही करायी जाये।

इस गोष्ठी में मण्डलीय तकनीकी सलाहकार यूनिसेफ श्री राजेश सैनी द्वारा बताया गया कि विधि का उल्लंघन्न करने वाले बालकों/बालिकाओं से अपराधी के तरह व्यवहार न किया जाये, गोष्ठी में उपस्थित सभी बाल कल्याण अधिकारी एवं सदस्यों को बताया गया कि गुमशुदा बच्चों के बरामद होने के बाद उन्हे CWC के सुपुर्द करें, CWC बच्चे के परिजनों की पहचान कर उनके परिजनों के सुपुर्द करेगी। यदि कोई नाबालिक आत्महत्या का प्रयास करता है तो पुलिस ऐसे नाबालिक बच्चो को CWC के सुपुर्द करें एवं CWC ऐसे बच्चों की काउंसलिंग के पश्चात जानकारी करें कि उनके द्वारा ऐसा प्रयास क्यों किया गया है। इसके बाद बाद ही परिजनों के सुपुर्द किया जाये।

इस गोष्ठी में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ एम0के0 जटर्या, जिलाप्रोवेशन अधिकारी श्री सौरभ सिंह,संयुक्त निदेशक अभियोजन हरिओम सिंह,श्रम प्रवर्तन अधिकारी महेन्द्र शुक्ला,बाल कल्याण समस्य राकेश मामुर, श्रीमती उर्मिला जी, श्री राजेश कुमार दुबे, श्री विवेक कुमार शुक्ल, प्रभारी एच0टी0यू0 सदानन्द सिंह एवं जनपद के बाल संरक्षण से सम्बन्धित अन्य विभागों के सदस्य व अधिकारी/कर्मचारीगण तथा समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारी उपस्थित रहे।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह के मार्गदर्शन एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 129/2019 धारा 498ए,306 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. परगा पुत्र फुद्दी 2. पचिनिया पत्नी परगा 3. विकास पुत्र परगा निवासीगण पहाड़ी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 05-05 वर्ष का कारावास व 08-08 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण-</u>

उल्लेखनीय है दिनांक 09.07.2019 वादी श्री शिवकुमार पुत्र महावीर निवासी खमरखा थाना कमासिन जनपद बांदा ने थाना पहाड़ी में सूचना दी थी कि अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री रेशमा उर्फ सुमन को दहेज के लिए प्रताड़ित करना मांग पूरी न करने पर फांसी लगाकर जान से मार डालना। सूचना पर थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 129/2019 धारा 498ए,304(B) भादवि0 व ¾ द0प्र0 अधिनियम बनाम 1. परगा पुत्र फुद्दी 2. पचिनिया पत्नी परगा 3. विकास पुत्र परगा निवासीगण पहाड़ी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री बृजयेन्द्र द्विवेदी द्वारा संपादित की गयी। अभियुक्तों को दिनाँक 25.08.2019 को गिरफ्तार किया गया तथा दिनाँक 08.10.2019 को अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।

(8). आज दिनाँक 28.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना भरतकूप पुलिस बल के साथ दीपावली/कार्तिक अमवस्या मेला के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु कस्बा भरतकूप के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीम द्वारा

दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया तथा संदिग्ध वाहनों,संदिग्ध व्यक्तियों से पूंछताछ की गयी।

पैदल गस्त के दौरान थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह, पीआरओ श्री प्रवीण सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

(9). आज दिनाँक-28.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा थाना भरतकूप का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। महोदय द्वारा निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की साफ-सफाई व थाना कार्यालय में रजिस्टरों के उचित रख-रखाव,अद्यवधिक करने हेतु,बंदीगृह,सीसीटीएनएस कार्यालय,थानाध्यक्ष कार्यालय,मुकदमाती मालों का शख्त से शख्त निस्तारण कराने एवं आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत थाना क्षेत्र में भ्रमण रहकर आने जाने वालों पर निगाहे रखे ताकि कोई अप्रिय घटना घटित न होने पाये इस सम्बन्ध में थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह को शख्त से शख्त निर्देशित किया गया।

(10). आज दिनाँक 28.10.2024 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शिवशरणप्पा जी0एन0 एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा चौकी प्रभारी सीतापुर श्री अनिल कुमार गुप्ता एवं चौकी प्रभारी खोही श्री रमेश सिंह यादव की उपस्थिति में आगामी दीपावली/कार्तिक अमावस्या मेला को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत परिक्रमा मार्ग पर बने नगर पालिका पंचायत कार्यालय, रामघाट,बरहा के हनुमान मंदिर,राम जानकी मंदिर एवं परिक्रमा मार्ग का पैदल भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया तथा परिक्रमा मार्ग पर अवरोधक खम्भे को हटवाने,परिक्रमा मार्ग पर सफाई कराये ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को परिक्रमा करते समय किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो तथा अन्य कमियों को दूर करने के लिए सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा चौकी प्रभारी सीतापुर एवं प्रभारी चौकी खोही को निर्देशित किया गया कि क्षेत्र में भ्रमण कर शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखे हेतु आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत आने जाने वालों पर नजर रखे ताकि चोरी जैसी कोई अप्रिय घटना घटित न होने पाये तथा रामघाट पर श्रद्धालुओं को स्नान हेतु घाटों पर बैरकेटिंग लगवाने हेतु सम्बन्धित को बताया गया।

इस दौरान एवं पीआरओं श्री प्रदीप पाल एवं अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहें।